

एस० पी० एम० यू० एन० एच० एम०
पत्रांक 12,982/नांक 22/01/18

प्रेषक,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
इलाहाबाद।

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
एम० एण्ड ई०,
एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०,
उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक:- मु०चि०अ० / सर्पो०सुपर० / वाह०सूचना / 2017-18 / 11957

दिनांक- 19/1/18

विषय:- जनपद इलाहाबाद में सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में किराये पर अनुबन्धित गाड़ियों का विवरण।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद में सपोर्टिव सुपरविजन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में किराये पर वाहन निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त वाहनों की आपूर्ति हेतु करार (अनुबन्ध) की सूचना निम्न प्रारूप पर निम्नलिखित है।

SUPPORTIVE SUPERVISION VEHICLE HIRING-BLOCK WISE INFORMATION 2017-18						
S.No.	NAME OF DIVISION	NAME OF DISTRICT	BLOCK NAME	VEHICLE NO.	DATE OF HIRING	AGREEMENT COPY ATTACHED
1	ALLAHABAD	ALLAHABAD	CHAKA	UP/70DD7776	11.08.2017	YES
2	ALLAHABAD	ALLAHABAD	KARCHANA	UP/70AU9704	11.08.2017	YES
3	ALLAHABAD	ALLAHABAD	SAIDABAD	UP/70BP9180	11.08.2017	YES
4	ALLAHABAD	ALLAHABAD	KOROAN	UP70/ET9268	11.08.2017	YES
5	ALLAHABAD	ALLAHABAD	HANDIA	UP70/ET1945	18.08.2017	YES
6	ALLAHABAD	ALLAHABAD	KOTWA	UP70/ET2516	14.08.2017	YES
7	ALLAHABAD	ALLAHABAD	HOLAGARH	UP70/DT0860	11.08.2017	YES
8	ALLAHABAD	ALLAHABAD	MAUAIMA	UP70/CT4111	11.08.2017	YES
9	ALLAHABAD	ALLAHABAD	BAHARIYA	UP70/ET7449	11.08.2017	YES
10	ALLAHABAD	ALLAHABAD	PRATAPPUR	UP70/ET8262	11.08.2017	YES
11	ALLAHABAD	ALLAHABAD	JASRA	UP70/CT0453	11.08.2017	YES
12	ALLAHABAD	ALLAHABAD	SHANKARGARH	UP70/DT4743	11.08.2017	YES
13	ALLAHABAD	ALLAHABAD	MEJA	UP70/DT1439	11.08.2017	YES
14	ALLAHABAD	ALLAHABAD	MANDA	UP70/ET1285	11.08.2017	YES
15	ALLAHABAD	ALLAHABAD	KAUNDHIYARA	UP70/DT6678	11.08.2017	YES
16	ALLAHABAD	ALLAHABAD	KAURIHAR	UP70/ET1611	19.08.2017	YES
17	ALLAHABAD	ALLAHABAD	SORAN	UP70/DT6070	19.08.2017	YES
18	ALLAHABAD	ALLAHABAD	DHANUPUR	UP70/CT2629	19.08.2017	YES
19	ALLAHABAD	ALLAHABAD	PHULPUR	UP70/ET5620	19.08.2017	YES
20	ALLAHABAD	ALLAHABAD	RAMNAGAR	UP70/ET0765	19.08.2017	YES

SUPPORTIVE SUPERVISION VEHICLE HIRING-District Level Information 2017-18

	NAME OF DISTRICT	NAME OF AGREEMENT Signing Officer	VEHICLE NO.-1	DATE OF HIRING	VEHICLE NO.-2	DATE OF HIRING	AGREEMENT COPY ATTACHED
1	ALLAHABAD	CMO, Allahabad	UP70/ET 3828	11.08.2017	0	0	YES

PC(M&E)

23/1/18

नोट:- डिजीजन लेवल के सपोर्टिव सुपरविजन हेतु वाहनों के हायरिंग हेतु बजट अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के कार्यालय में ट्रान्स्फर कर दिया गया है।

भवदीय

मुख्य चिकित्साधिकारी
इलाहाबाद

तद्दिनांक

पत्रांक : मु0चि0अ0 / सर्पो0सुपर0 / वाह0सूचना / 2017-18 /

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
3. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, इलाहाबाद।

मुख्य चिकित्साधिकारी,
इलाहाबाद।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सपोर्टिव सुपरविजन हेतु किराये पर वाहन निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त किराये पर वाहन की वापसी हेतु कर्तव्य अनुबन्ध

यह अनुबन्ध/ करार एक ओर मेसर्स कृष्णा ट्रान्सपोर्ट एण्ड टूर एजेंसी, हवेलिया, ईसी इन्डस्ट्रियल एरिया, इसमें इसके पश्चात् ठेकेदार कथित जो अभिव्यक्ति जहाँ सन्दर्भ ऐसा स्वीकार्य करता है या में निहित है, उसके/उनके/इसके उत्तराधिकारियों, निष्पादों, प्रशासकों तथा समनुदेशितियों को शामिल करता है) तथा दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल (इसमें उसके पश्चात् महामहिम राज्यपाल कथित जो अभिव्यक्ति, जहाँ सन्दर्भ ऐसा स्वीकार करता है या में निहित है, उनके कार्यालय उत्तराधिकारी या अनुदेशितियों को शामिल करता है) के मध्य दिनांक: 11.08.2017 को किया गया।

तथा चूंकि महामहिम राज्यपाल महोदय करार (अनुबन्ध) में वर्णित तथा निविदा में निश्चित वाहन सं० व टैक्सी परमिट संख्या की आपूर्ति (इसके पश्चात् आपूर्ति कथित) की अपेक्षा करते हैं तथा आपूर्ति का ब्यौरा निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित/वर्णित कराया है तथा ठेकेदार को वाहन आपूर्ति जो कराया जाना है का तथा उसके पूरे व्यौरे का निरीक्षण करने या समझने का ठेकेदार की संतुष्टि में पूर्णतः उत्तर देना है।

तथा चूंकि ठेकेदार, इसके अन्तर्गत मुद्रित शर्तों तथा निविदा प्रपत्र में उल्लिखित/वर्णित नियम व शर्तों तथा विशेष नियम व शर्तों पर तथा के अध्याधीन इस करार (अनुबन्ध) में वर्णित दरों पर सम्बन्धित निविदा में दी गयी मात्रा में निष्पादित/सम्पादित करने के लिए सहमत हुआ है।

अब एतद्वारा निम्नलिखित करार/अनुबन्ध किया जाता है :-

ठेकेदार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सपोर्टिव सुपरविजन हेतु किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु दी गयी दरें न्यूनतम पाई गयी हैं:-

क्रम सं०	सामु०/प्रा० स्वास्थ्य केंद्रों का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	वाहन संख्या	टैक्सी रजिस्ट्र संख्या	अनुमानित दर
1.	चाका	कृष्णा ट्रान्सपोर्ट एण्ड टूर एजेन्सी	UP70DD1776	UP/70162/AITP/2016/540	22700.00
2.	करछना	कृष्णा ट्रान्सपोर्ट एण्ड टूर एजेन्सी	UP70AU9704	UP/70162/MAXI/2013/54	22800.00
3.	सौदाबाद	कृष्णा ट्रान्सपोर्ट एण्ड टूर एजेन्सी	UP70BP9180	CC/STA/UP/2016/00328	22995.00
4.	कोरॉव	कृष्णा ट्रान्सपोर्ट एण्ड टूर एजेन्सी	UP70ET9268	CC/STA/UP/2016/05368	24200.00

1. ठेकेदार द्वारा वाहनों की आपूर्ति हेतु मानक के अनुरूप धरोहर धनराशि के रूप में ₹0- ~~60,000/-~~ की धनराशि जमा की जायेगी तथा कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त निर्गत होने के उपरान्त तथा मानक के अनुरूप आपूर्ति को निष्पादित/सम्पादित करेगा तथा पूरा करेगा। वाहन की गुणवत्ता एवं समयान्तर्गत आपूर्ति न होने पर कार्यादेश को निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर धनराशि जफ्त कर ली जायेगी। तथा उपरोक्त वाहन के खराब होने की दशा में वाहन नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम ₹0 500 प्रति दिन की दर से दफ्तरी की जायेगी।
2. ठेकेदार को उसके द्वारा निष्पादित/सम्पादित उन वास्तविक कार्यों/आपूर्ति जिनका कार्यादेश स्वयं अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, तथा सक्षम अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा निहित कार्यो द्वारा सत्यापित किया गया हो, के प्रतिफल में बजट की उपलब्धता तथा विलम्ब की दशा में निम्न बजट में इन कार्यों (अनुबन्ध) में वर्णित दरों पर जीएएसटी/सीएसटी वस्तुशुल्क अलग करने, जो इन लागत तथा हार्ड में लागत हंग से सदेय होगी।
3. निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों बिन्दु 1 से 30 तक का अनुपालन करना आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा में निविदा समाप्त कर दी जायेगी।
4. यह निविदा अनुबन्ध के तिथि से 31.03.2018 या अगली निविदा स्वीकृत होने तक मान्य होगी। इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने क्रमशः अपने हस्ताक्षर के विरुद्ध दर्शित तिथि पर इस विलेख पर हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षर..... 

तिथि..... 11.8.2017


ठेकेदार/फर्म का नाम:- कृष्णा ट्रान्सपोर्ट एण्ड टूर एजेन्सी
पता:- हवेलिया झूँसी, इलाहाबाद 2010030 की उपस्थिति में

नाम पता हस्ताक्षर
1. दिनेश कुमार चौखण्डा प्रमज 



2. प्रलम त्रिपाठी हाथिसर नौर इलाहाबाद प्रलम

महामहिम राज्यपाल के लिए तथा की ओर से हस्ताक्षर किया-

हस्ताक्षर



मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद की उपस्थिति में

नाम पता हस्ताक्षर
1. Ram Jyoti Gupta CMO Office 1st floor 
2. Dr Ashok Aemo 



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

DN 425440

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सपोर्टिव सुपरविजन हेतु किराये पर वाहन निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त किराये पर वाहनों की आपूर्ति हेतु करार (अनुबन्ध)

यह अनुबन्ध/ करार एक ओर मेजर सिंह दूर्स एण्ड ट्रेवल्स, बोलरो कम्प्लेक्स, सीए, इन्डिया इन्डिया 200 प्र० इसमें इसके पश्चात् ठेकेदार कथित जो अभिव्यक्ति जहाँ सन्दर्भ ऐसा स्वीकार करता है या में निहित है, उसके/उनके/इसके उत्तराधिकारियों, निष्पादों, प्रशासकों तथा समनुदेशितियों को शामिल करता है) तथा दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल (इसमें उसके पश्चात महामहिम राज्यपाल कथित जो अभिव्यक्ति, जहाँ सन्दर्भ ऐसा स्वीकार करता है या में निहित है, उनके कार्यालय उत्तराधिकारी या अनुदेशितियों को शामिल करता है) के मध्य दिनांक:- 18.08.2017 को किया गया।

तथा चूंकि महामहिम राज्यपाल महोदय करार (अनुबन्ध) में वर्णित तथा निविदा में निश्चित वाहन सं० व टैक्सी परमिट संख्या की आपूर्ति (इसके पश्चात आपूर्ति कथित) की अपेक्षा करते हैं तथा आपूर्ति का ब्योरा निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित/वर्णित कराया है तथा ठेकेदार को वाहन आपूर्ति जो कराया जाना है का तथा उसके पूरे ब्योरे का निरीक्षण करने या समझने का ठेकेदार की संतुष्टि में पर्याप्त समय तथा अवसर दिया है।

तथा चूंकि ठेकेदार, इसके अन्तर्गत मुद्रित शर्तों तथा निविदा प्रपत्र में उल्लिखित/वर्णित नियम व शर्तों तथा विशेष नियम व शर्तों पर तथा के अध्याधीन इस करार (अनुबन्ध) में वर्णित दरों पर सम्बन्धित निविदा में दी गई मात्रा में निष्पादित/सम्पादित करने के लिए सहमत हुआ है।

अब एतद्वारा निम्नलिखित करार/अनुबन्ध किया जाता है :-
ठेकेदार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सपोर्टिव सुपरविजन हेतु किराये पर वाहन उपलब्ध करने हेतु दी गयी दरें न्यूनतम पाई गयी हैं:-

क्रम सं०	सामु०/प्रा० स्वास्थ्य केन्द्रों का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	वाहन संख्या	टैक्सी परमिट संख्या	अनुमोदित दर
1.	हण्डिया	सिंह दूर्स एण्ड ट्रेवल्स	BOLERO-UP70ET1945	UP/70/102/AITP/2015/624	22680

1. ठेकेदार द्वारा वाहनों की आपूर्ति हेतु मानक के अनुसार बसें/घरों/घनराशि के रूप में रु०- 300000 की घनराशि जमा की जायेगी तथा कार्यादेश निर्गत होने के उपलब्ध दिनों होने के उपरान्त तथा मानक के अनुरूप आपूर्ति को निष्पादित/सम्पादित करेगा तथा पूरा करेगा। वाहन की सुव्यवस्था एवं समय-समय पर आपूर्ति न होने पर कार्यादेश को निरस्त कर दिया जायेगा तथा घरोर घनराशि जमा कर ली जायेगी। तथा उपरोक्त वाहन के खराब होने की दशा में वाहन नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रु० 500 प्रति दिन की दर से वसूली की जायेगी।
2. ठेकेदार को उसके द्वारा निष्पादित/सम्पादित उन वास्तविक कार्यों/आपूर्ति जिनका कार्यादेश सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, तथा सक्षम अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा गठित समिति द्वारा सत्यापित किया गया हो, के प्रतिफल में बजट की उपलब्धता तथा विलम्ब की दशा में बिना ब्याज के इस करार (अनुबन्ध) में वर्णित दरों पर जी०एस०टी० सहित घनराशि अदा करेंगे, जो इस समय तथा शर्तों में उपरि दंग से सदेय होगी।
3. निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों बिन्दु 1 से 30 तक का अनुपालन करना आवश्यक होगा अन्यथा कि स्थिति में निविदा समाप्त कर दी जायेगी।
4. यह निविदा अनुबन्ध के तिथि से 31.03.2018 या अगली निविदा स्वीकृत होने तक मान्य होगी। इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने कमरा अपने हस्ताक्षर के बिन्दु दर्ज किए पर इस विधि से हस्ताक्षर किये हैं।


हस्ताक्षर 



ठेकेदार/फर्म का नाम- सिंह दुर्ग एन्ड ट्रेडिंग

पता:- बीरापुर कसौधन, बरौत, हण्डिया इलाहाबाद 20190 की उपस्थिति में

नाम	पता	हस्ताक्षर
1. राजेश कुमार	बीरापुर कसौधन	राजेश कुमार

2. रामचन्द्र	बीरापुर कसौधन	रामचन्द्र
--------------	---------------	-----------

हस्ताक्षर 
 मुख्य चिकित्सा अधिकारी इलाहाबाद की उपस्थिति में

नाम	पता	हस्ताक्षर
1. Ram Jyawan Chandra	enro fire A112	
2. Dr Ashok	Aemo	



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

DN 343478

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सपोर्टिव सुपरविजन हेतु किराये पर वाहन निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त किराये पर वाहनों की आपूर्ति हेतु करार (अनुबन्ध)

यह अनुबन्ध/ करार एक ओर मेसर्स न्यू मों गायत्री इण्टरप्राइजेज, ग्राम-चकिया, हिनौता, छिबैया इलाहाबाद उ०प्र० इसमें इसके पश्चात् ठेकेदार कथित जो अभिव्यक्ति जहाँ सन्दर्भ ऐसा स्वीकार करता है या, में निहित में, उसके/उनके/इसके उत्तराधिकारियों, निष्पादों, प्रशासकों तथा समनुदेशितियों को शामिल करता है) तथा दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल (इसमें उसके पश्चात् महामहिम राज्यपाल कथित जो अभिव्यक्ति, जहाँ सन्दर्भ ऐसा स्वीकार करता है या में निहित है, उनके कार्यालय उत्तराधिकारी या अनुदेशितियों को शामिल करता है) के मध्य दिनांक 14.8.2017 को किया गया।

तथा चूंकि महामहिम राज्यपाल महोदय करार (अनुबन्ध) में वर्णित तथा निविदा में निश्चित वाहन सं० व टैक्सी परमिट संख्या की आपूर्ति (इसके पश्चात् आपूर्ति कथित) की अपेक्षा करते हैं तथा आपूर्ति का ब्योरा निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित/वर्णित कराया है तथा ठेकेदार को वाहन आपूर्ति जो कराया जाता है का तथा उसके पूरे ब्योरे का निरीक्षण करने या समझने का ठीकेदार की संतुष्टि में पर्याप्त समय तथा अवसर दिया है।

तथा चूंकि ठेकेदार, इसके अन्तर्गत मुद्रित शर्तों तथा निविदा प्रपत्र में उल्लिखित/वर्णित नियम व शर्तों तथा विशेष नियम व शर्तों पर तथा के अध्याधीन इस करार (अनुबन्ध) में वर्णित दरों पर सम्बन्धित निविदा में दी गयी मात्रा में निष्पादित/सम्पादित करने के लिए सहमत हुआ है।

अब एतद्वारा निम्नलिखित करार/अनुबन्ध किया जाता है :-

ठेकेदार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सपोर्टिव सुपरविजन हेतु किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु दी गयीं दरें न्यूनतम पाई गयीं हैं:-



क्रम सं०	सामु०/प्र० स्वास्थ्य केंद्रों का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	वाहन संख्या	टैक्सी परमिट संख्या	अनुमोदित दर
1.	कोटवा	न्यू मों गायत्री	UP70ET2516	UP/70/102/AITP/2015/671	22800.00

1. डेकेदार द्वारा वाहनों की आपूर्ति हेतु मानक के अनुरूप चरोहर धनराशि के रूप में रु० 15000/- धनराशि जमा की जायेगी तथा कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त निर्गत होने के उपरान्त तथा मानक के अनुरूप आपूर्ति को निष्पादित/सम्पादित करेगा तथा पूरा करेगा। वाहन की भुगतान एवं सम्बन्धित व्ययों पर कार्यादेश को निरस्त कर दिया जायेगा तथा चरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। तथा कार्यादेश जमा के खराब होने की दशा में वाहन नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का डिब्बे का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रु० 500 प्रति दिन की दर से वसूली की जायेगी।
2. डेकेदार को उसके द्वारा निष्पादित/सम्पादित उन वारतविक कार्यों/आपूर्ति जिनका कार्यादेश संक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, तथा संक्षम अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा गठित समिति द्वारा सत्यापित किया गया हो, के प्रतिफल में वजत की उपलब्धता तथा विलम्ब की दशा में बिना ध्यान के इस करार (अनुबन्ध) में वर्णित दरों पर जी०एस०टी० सहित धनराशि अदा करेंगे, जो इस समय तथा शर्तों में उपलब्ध दम से सदेव होगी।
3. निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों बिन्दु 1 से 30 तक का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा, अन्यथा कि किसी के निविदा समाप्त कर दी जायेगी।
4. यह निविदा अनुबन्ध के तिथि से 31.03.2018 या अगली निविदा स्वीकृत होने तक मान्य होगी। इसके साध्य में इसके पक्षकारों ने क्रमशः अपने हस्ताक्षर के विरुद्ध दर्शित तिथि पर इन दिवस के हस्ताक्षर किये हैं।

14-8-2017

हस्ताक्षर 

डेकेदार/फर्म का नाम- न्यू मों गायत्री इण्टरप्राइजेज
पता- ग्राम-चकिया, हिनाता, छिबैया की उपस्थिति में



नाम	पता	हस्ताक्षर
1. विश्वधर सिंह	दलापुर, राईपुर	
2. केशव शर्मा	रुही, राईपुर	

महामहिम राज्यपाल के लिए तथा की ओर से हस्ताक्षर किया-

हस्ताक्षर



मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद की उपस्थिति में

नाम	पता	हस्ताक्षर
1. Ram Jyawan Gupta	can the An	
2. Dr. Asha	Dem	



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत सपोर्टिव सुपरविजन हेतु किराये पर वाहन निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त किराये पर वाहनों की आपूर्ति हेतु करार (अनुबन्ध)

यह अनुबन्ध/ करार एक ओर मेसर्स जयनारायण टूर एण्ड ट्रवल्स शान्तिपुरम काफामरु, इलाहाबाद उ0प्र0 इसमें इसके पश्चात् ठेकेदार कथित जो अभिव्यक्ति जहाँ सन्दर्भ ऐसा स्वीकार्य करता है या में निहित में, उसके/उनके/इसके उत्तराधिकारियों, निष्पादों, प्रशासकों तथा सम्नुदेशितिया को शामिल करता है) तथा दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल (इसमें उसके पश्चात् महामहिम राज्यपाल कथित जो अभिव्यक्ति, जहाँ सन्दर्भ ऐसा स्वीकार करता है या में निहित है, उनके कार्यालय उत्तराधिकारी या अनुदेशितियों को शामिल करता है) के मध्य दिनांक:- (11.08.2017) को किया गया।

तथा चूंकि महामहिम राज्यपाल महोदय करार (अनुबन्ध) में वर्णित तथा निविदा में निश्चित वाहन संख्या व टैक्सी परमिट संख्या की आपूर्ति (इसके पश्चात् आपूर्ति कथित) की अपेक्षा करते हैं तथा आपूर्ति का ब्यौरा निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित/वर्णित कराया है तथा ठेकेदार को वाहन आपूर्ति जो कराया जाना है का तथा उसके पूरे ब्यौरे का निरीक्षण करने या समझने का ठेकेदार की संतुष्टि में पर्याप्त समय तथा अवसर दिया है।

तथा चूंकि ठेकेदार, इसके अन्तर्गत मुद्रित शर्तों तथा निविदा प्रपत्र में उल्लिखित/वर्णित नियम व शर्तों तथा विशेष नियम व शर्तों पर तथा के अध्याधीन इस करार (अनुबन्ध) में वर्णित दरों पर सम्बन्धित निविदा में दी गयी मात्रा में निष्पादित/सम्पादित करने के लिए सहमत हुआ है।

अब एतद्वारा निम्नलिखित करार/अनुबन्ध किया जाता है :-

ठेकेदार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत सपोर्टिव सुपरविजन हेतु किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के लिये तैयारी करे न्यूनतम पाई गयी है:-



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत सपोर्टिव सुपरविजन हेतु किराये पर वाहन निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त किराये पर वाहनों की आपूर्ति हेतु करार (अनुबन्ध)

यह अनुबन्ध/ करार एक ओर मेसर्स जयनारायण टूर एण्ड ट्रवल्स, शान्तिपुरम काफामरु, इलाहाबाद उ०प्र० इसमें इसके पश्चात् ठेकेदार कथित जो अभिव्यक्ति जहाँ सन्दर्भ ऐसा स्वीकार करता है या में निहित है, उसके/उनके/इसके उत्तराधिकारियों, निष्पादों, प्रशासकों तथा सम्नुदेशितियों को शामिल करता है तथा दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल (इसमें उसके पश्चात् महामहिम राज्यपाल कथित जो अभिव्यक्ति, जहाँ सन्दर्भ ऐसा स्वीकार करता है या में निहित है, उनके कार्यालय उत्तराधिकारी या अनुदेशितियों को शामिल करता है) के मध्य दिनांक:- (11.08.2017) को किया गया।

तथा चूंकि महामहिम राज्यपाल महोदय करार (अनुबन्ध) में वर्णित तथा निविदा में निश्चित वाहन राउ व टैक्सी परमिट संख्या की आपूर्ति (इसके पश्चात् आपूर्ति कथित) की अपेक्षा करते हैं तथा आपूर्ति का ब्यौरा निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित/वर्णित कराया है तथा ठेकेदार को वाहन आपूर्ति जो कराया जाना है का तथा उसके पूरे ब्यौरे का निरीक्षण करने या समझने का ठेकेदार की संतुष्टि में पर्याप्त समय तथा अवसर दिया है।

तथा चूंकि ठेकेदार, इसके अन्तर्गत मुद्रित शर्तों तथा निविदा प्रपत्र में उल्लिखित/वर्णित नियम व शर्तों तथा विशेष नियम व शर्तों पर तथा के अध्याधीन इस करार (अनुबन्ध) में वर्णित दरों पर सम्बन्धित निविदा में दी गयी मात्रा में निष्पादित/सम्पादित करने के लिए सहमत हुआ है।

अब एतद्वारा निम्नलिखित करार/अनुबन्ध किया जाता है :-

ठेकेदार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत सपोर्टिव सुपरविजन हेतु किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के लिये दी गयी दरें न्यूनतम पाई गयी हैं:-

क्रम सं०	सामु०/प्र० स्वास्थ्य केन्द्रों का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	वाहन संख्या	टैक्सी परमिट संख्या	अनुमोदित दर
1.	होलागढ़	जयनारायण टूर एण्ड ट्रवल्स	UP70DT0860	UP/70/102/AITP/2013/84	24800.00
2.	मऊआइना	जयनारायण टूर एण्ड ट्रवल्स	UP70CT4111	CC/STA/UP/2012/00951	24200.00
3.	बहरिया	जयनारायण टूर एण्ड ट्रवल्स	UP70ET7449	CC/STA/UP/2016/03314	24800.00
4.	प्रतापपुर	जयनारायण टूर एण्ड ट्रवल्स	UP70ET8262	UP/70/102/AITP/2016/854	24200.00
5.	जसारा	जयनारायण टूर एण्ड ट्रवल्स	UP70CT0453	CC/STA/AI/2011/02718	24200.00
6.	शंकरगढ़	जयनारायण टूर एण्ड ट्रवल्स	UP70DT4743	UP/70/102/AITP/2013/488	23900.00
7.	मेजा	जयनारायण टूर एण्ड ट्रवल्स	UP70DT1439	UP/70/102/AITP/2013/101	24800.00

- ठेकेदार द्वारा वाहनों की आपूर्ति हेतु मानक के अनुरूप धरोहर धनराशि के रूप में ₹0 1.05,000/- की धनराशि जमा की जायेगी तथा कार्यदेश निर्गत होने के उपरान्त निर्गत होने के उपरान्त तथा मानक के अनुरूप आपूर्ति को निष्पादित/सम्पादित करेगा तथा पूरा करेगा। वाहन की गुणवत्ता एवं समयान्तर्गत आपूर्ति न होने पर कार्यदेश को निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। तथा उपरोक्त वाहन के खराब होने की दशा में वाहन नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम ₹0 500 प्रति दिन की दर से वसूली की जायेगी।
- ठेकेदार को उसके द्वारा निष्पादित/सम्पादित उन वास्तविक कार्यों/अपूर्ति विवरण अनुसार अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, तथा स्वयं अधिकारी के मुख्य विधिक अधिकारी इलाहाबाद लोक गठित समिति द्वारा सत्यापित किया गया हो, के प्रतिफल में बजट की उपलब्धता तथा विलम्ब की दशा में बिना ब्याज के इस करार (अनुबन्ध) में वर्णित दरों पर जी०एस०टी० सहित धनराशि अदा करेगा, जो इस समय तथा शर्तों में उपरि डग से सदेय होगी।
- निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों बिन्दु 1 से 30 तक का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा, अन्यथा कि स्थिति में निविदा समाप्त कर दी जायेगी।
- यह निविदा अनुबन्ध के तिथि से 31.03.2018 या अगली निविदा स्वीकृत होने तक मान्य होगी। इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने क्रमशः अपने हस्ताक्षर के विरुद्ध दर्शित तिथि पर इस विलेख पर हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षर... शिवनारायण गुप्ता

ठेकेदार/फर्म का नाम:- मेसर्स जयनारायण टूर एण्ड ट्रवल्स
पता:- शान्तिपुरम फाफामऊ इलाहाबाद उ०प्र० की उपस्थिति में

तिथि... 11.8.2017

नाम
1. Rakesh Kumar

पता
Mavama Saram

हस्ताक्षर रकेश कुमार

2. Sandeep Kumar

Kathua Pur J Puz

[Signature]

हस्ताक्षर

... महामहिम राज्यपाल के लिए तथा की ओर से हस्ताक्षर किया-

मुख्य विधिक अधिकारी, इलाहाबाद की उपस्थिति में

नाम

पता

हस्ताक्षर

1. Ram Jiyawar Cope

CNO Office etc

[Signature]

2. ...



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सपोर्टिव सुपरविजन हेतु किराये पर वाहन निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त किराये पर वाहनों की आपूर्ति हेतु करार (अनुबन्ध)

यह अनुबन्ध / करार एक ओर मेसर्स आर0के0ट्रान्सपोर्ट, शाहबाजपुर महरीड़ा, मऊआइमा,सौराँद इलाहाबाद उ0प्र0 इसमें इसके पश्चात् ठेकेदार कथित जो अभिव्यक्ति जहाँ सन्दर्भ ऐसा स्वीकार्य करता है या में निहित में, उसके/उनके/इसके उत्तराधिकारियों, निष्पादों, प्रशासकों तथा समनुदेशितिया को शामिल करता है) तथा दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल (इसमें उसके पश्चात् महामहिम राज्यपाल कथित जो अभिव्यक्ति, जहाँ सन्दर्भ ऐसा स्वीकार करता है या में निहित है, उनके कार्यालय उत्तराधिकारी या अनुदेशितियों को शामिल करता है) के मध्य दिनांक- 11.02.2017 को किया गया।

तथा चूंकि महामहिम राज्यपाल महोदय करार (अनुबन्ध) में वर्णित तथा निविदा में निश्चित वाहन सं0 व टैक्सी परमिट संख्या की आपूर्ति (इसके पश्चात् आपूर्ति कथित) की अपेक्षा करते हैं तथा आपूर्ति का ब्यौरा निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित/वर्णित कराया है तथा ठेकेदार को वाहन आपूर्ति जो कराया जाना है का तथा उसके पूरे व्यौरे का निरीक्षण करने या समझने का ठेकेदार की संतुष्टि में पर्याप्त समय तथा अवसर दिया है।

तथा चूंकि ठेकेदार, इसके अन्तर्गत मुद्रित शर्तों तथा निविदा प्रपत्र में उल्लिखित/वर्णित नियम व शर्तों तथा विशेष नियम व शर्तों पर तथा के अध्याधीन इस करार (अनुबन्ध) में वर्णित दरों पर सम्बन्धित निविदा में दी गयी मात्रा में निष्पादित/सम्पादित करने के लिए सहमत हुआ है।

अब एतद्वारा निम्नलिखित करार/अनुबन्ध किया जाता है :-

ठेकेदार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सपोर्टिव सुपरविजन हेतु किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु दी गयी दरें न्यूनतम पाई गयी हैं।

क्रम सं०	सामु०/प्रा० स्वास्थ्य केंद्रों का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	वाहन संख्या	टैक्सी परमिट संख्या	अनुमोदित दर
1.	माण्डा	आर०के०ट्रान्सपोर्ट	UP70ET1285	UP/70/102/AITP/2016/761	24200.00
2.	कौधियारा	आर०के०ट्रान्सपोर्ट	UP70DT6678	UP/70/102/STA//2014/652	24200.00
3.	जनपद स्तरीय	आर०के०ट्रान्सपोर्ट	UP70ET3828	UP/70/102/AITP/2015/730	24200.00

1. ठेकेदार द्वारा वाहनों की आपूर्ति हेतु मानक के अनुरूप धरोहर धनराशि के रूप में ₹०- 4,50,000/- की धनराशि जमा की जायेगी तथा कार्यदेश निर्गत होने के उपरान्त निर्गत होने के उपरान्त तथा मानक के अनुरूप आपूर्ति को निष्पादित/सम्पादित करेगा तथा पूरा करेगा। वाहन की गुणवत्ता एवं समयान्तर्गत आपूर्ति न होने पर कार्यदेश को निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। तथा उपरोक्त वाहन के खराब होने की दशा में वाहन नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम ₹० 500 प्रति दिन की दर से वसूली की जायेगी।
2. ठेकेदार को उसके द्वारा निष्पादित/सम्पादित उन वास्तविक कार्य/आपूर्ति जिनका कार्यदेश सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, तथा सक्षम अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा गठित समिति द्वारा सत्यापित किया गया हो, के प्रतिफल में बजट की उपलब्धता तथा विलम्ब की दशा में बिना ब्याज के इस करार (अनुबन्ध) में वर्णित दरों पर जी०एस०टी० सहित धनराशि अदा करने को इस समय तथा शर्तों में उपरि दंग से संदेय होगी।
3. निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों बिन्दु 1 से 30 तक का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा अन्यथा कि स्थिति में निविदा समाप्त कर दी जायेगी।
4. यह निविदा अनुबन्ध के तिथि से 31.03.2018 या अगली निविदा स्वीकृत होने तक मान्य होगी। इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने क्रमशः अपने हस्ताक्षर के विरुद्ध दर्शित तिथि पर इस विलेख पर हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षर... शकेश कुमार

ठेकेदार/फर्म का नाम:- मेसर्स आर०के०ट्रान्सपोर्ट

तिथि... 11-8-2017

पता:- शाहबाजपुर महरौड़ा, मऊआइमा, सोरॉव इलाहाबाद उ०प्र० की उपस्थिति में

नाम पता
1. Seeta Ram Bhatti Kathavapur

हस्ताक्षर Seeta Ram

2. मुकेश कुमार Sadapur

मुकेश कुमार

महामहिम राज्यपाल के लिए तथा की ओर से हस्ताक्षर किया-

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद की उपस्थिति में

नाम पता
1. Ram Jyoti Singh Chauhan CMO of the State

हस्ताक्षर Ram Jyoti

2. Dr. Ashu Seno

हस्ताक्षर Dr. Ashu



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

01 AUG 2017 DN-316551

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सपोर्टिव सुपरविजन हेतु किराये पर वाहन निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त किराये पर वाहनों की आपूर्ति हेतु करार (अनुबन्ध)

यह अनुबन्ध/ करार एक ओर मेसर्स आदर्श इण्टरप्राइजेज, ग्राम व पोस्ट-घोबहा, हमिडिया, इलाहाबाद उ0प्र0 इसमें इसके पश्चात् ठेकेदार कथित जो अभिव्यक्ति जहाँ सन्दर्भ ऐसा स्वीकार्य करता है या में निहित में, उसके/उनके/इसके उत्तराधिकारियों, निष्पादों, प्रशासकों तथा समनुदेशितियों को शामिल करता है तथा दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल (इसमें उसके पश्चात् महामहिम राज्यपाल कथित जो अभिव्यक्ति, जहाँ सन्दर्भ ऐसा स्वीकार करता है या में निहित है, उनके कार्यालय उत्तराधिकारी या अनुदेशितियों को शामिल करता है) के मध्य दिनांक-19.08.2017 को किया गया।

तथा चूंकि महामहिम राज्यपाल महोदय करार (अनुबन्ध) में वर्णित तथा निविदा में निश्चित वाहन स0 व टैक्सी परमिट संख्या की आपूर्ति (इसके पश्चात् आपूर्ति कथित) की अपेक्षा करते हैं तथा आपूर्ति का ब्यौरा निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित/वर्णित कराया है तथा ठेकेदार को वाहन आपूर्ति जो कराया जाना है का तथा उसके पूरे ब्यौरे का निरीक्षण करने या समझने का ठीकेदार की संतुष्टि में पर्याप्त समय तथा अवसर दिया है।

तथा चूंकि ठेकेदार, इसके अन्तर्गत नुदित शर्तों तथा निविदा प्रपत्र में उल्लिखित/वर्णित नियम व शर्तों तथा विशेष नियम व शर्तों पर तथा के अध्याधीन इस करार (अनुबन्ध) में वर्णित दरों पर सम्बन्धित निविदा में दी गयी मात्रा में निष्पादित/सम्पादित करने के लिए सहमत हुआ है।

अब एतद्वारा निम्नलिखित करार/अनुबन्ध किया जाता है :-

ठेकेदार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सपोर्टिव सुपरविजन हेतु किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु दी गयी दरें न्यूनतम पाई गयी है:-

श्र

क्रम सं०	सामु०/प्रा० स्वास्थ्य केंद्रों का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	वाहन संख्या	टैक्सी परमिट संख्या	अनुमोदित दर
1.	कौडिहार	आदर्श इण्टरप्राइजेज	UP70ET16H	UP/70/102/AITP/2015/561	24800.00
2.	सौराव	आदर्श इण्टरप्राइजेज	UP70DT6070	UP/70/102/AITP/2014/222	24800.00
3.	धनुपुर	आदर्श इण्टरप्राइजेज	UP70CT2629	CC/STA/AL/2011/05605	24200.00
4.	फूलपुर	आदर्श इण्टरप्राइजेज	UP70ET5620	UP/70/102/AITP/2016/775	24200.00
5.	रामनगर	आदर्श इण्टरप्राइजेज	UP70ET0765	UP/70/102/AITP/2016/413	24200.00

1. ठेकेदार द्वारा वाहनों की आपूर्ति हेतु मानक के अनुरूप धरोहर धनराशि के रूप में रु० 75000/- की धनराशि जमा की जायेगी तथा कार्यदेश निर्गत होने के उपरान्त निर्गत होने के उपरान्त तथा मानक के अनुरूप आपूर्ति को निष्पादित/सम्पादित करेगा तथा पूरा करेगा। वाहन की गुणवत्ता एक समयान्तर्गत आपूर्ति न होने पर कार्यदेश को निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। तब उपरोक्त वाहन के खराब होने की दशा में वाहन नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रु० 500 प्रति दिन की दर से वसूली की जायेगी।
2. ठेकेदार को उसके द्वारा निष्पादित/सम्पादित उन वास्तविक कार्य/आपूर्ति जिनका कार्यदेश स्वयं अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, तथा सक्षम अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी इलाहाबाद द्वारा गठित समिति द्वारा सत्यापित किया गया हो, के प्रतिफल में कटौती की उपलब्धता तथा विनियम की दशा में बिना ब्याज के इस करार (अनुबन्ध) में वर्णित धरो पर जी०एस०टी० सहित धनराशि अदा करने, जो इन समय तथा शर्तों में उपरि उक्त से सदैव होगी।
3. निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों बिन्दु 1 से 30 तक का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा, अन्यथा कि स्थिति में निविदा समाप्त कर दी जायेगी।
4. यह निविदा अनुबन्ध के तिथि से 31.03.2018 या अगली निविदा स्वीकृत होने तक मान्य होगी। इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने क्रमशः अपने हस्ताक्षर के विरुद्ध दार्शित तिथि पर इस विलेख पर हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षर..... **विमलेश कुमार**

तिथि..... 19.02.2017

ठेकेदार/फर्म का नाम:- मेसर्स आदर्श इण्टरप्राइजेज

पता:- ग्राम व पोस्ट-धोबहा, हण्डिया इलाहाबाद उ०प्र० की उपस्थिति में

नाम पता हस्ताक्षर
1. Kamlesh Kumar Dhobaha Haridia Alla

~~Kamlesh Kumar~~ Chaurakela 02H Bhobha Haridia

हस्ताक्षर महामहिम राज्यपाल के लिए तथा जी और से हस्ताक्षर किया-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद की उपस्थिति में

नाम पता हस्ताक्षर
1. Kam Tejwan Gupta CMO GPR HIL

2. Dr. Anand Deora